

14/1/89

I - 12992/00

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEE

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

368155



विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 28 माह 9 वर्ष 2000 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् पश्चात् परिषद कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्षिणी है और सम्मिलित है।

कमरा: 2 पर

*Amir Khan*

*[Signature]*

विक्रेता

3051/2001

4020/0


(2)

एक पक्ष और सामिया इन्टर नेशनल विल्डर्स प्राइवेट लि० द्वारा श्री आमिर जमाल पुत्र श्री जमाल रशीद खान वर्तमान पता-सामिया हाउस ॥ पलोर राजा राम कुमार प्लाजा, 75, हजरतगंज, लखनऊ जिसके एतदपश्चात पंजीकृत इच्छुक केता कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक केता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि :-

चूंकि उक्त परिषद भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर लखनऊ तहसील लखनऊ जिला लखनऊ में वृन्दावन योजना संख्या-1 नामक मुहल्ले के सेक्टर 6A में स्थित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या- 6A/GH-1 का निर्माण व्यय है और चूंकि उक्त परिषद ने रू० 3,05,12,950.00 (रू० तीन करोड़ पाँच लाख बारह हजार नौ सौ पचास मात्र) जिसका आधा रू० 1,52,56,475.00 (रू० एक करोड़ बावन लाख छप्पन हजार चार सौ पचहत्तर मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति (संख्या-6A/GH-1) को, जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूंकि इच्छुक केता उक्त सम्पत्ति को परिषद से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्धन और शर्तों के अधीन कर्तव्य करने के लिए सहमत है। अतएव अब रू० 3,05,12,950.00 (रू० तीन करोड़ पाँच लाख बारह हजार नौ सौ पचास मात्र) की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप और सभी समबद्ध पक्षों के लिए इसमें एतद द्वारा वृन्दावन योजना लखनऊ में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना (सम्पत्ति सं० 6A/GH-1) जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक केता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा धृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है :-

कमशः 3 पर

  
अमिर खान

  
विक्रेता

(3)

(1) परिषद को उक्त सम्पत्ति का जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद् द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।

(2) एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।

(3) उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया जा चुका है।

(4) इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसका उपभोग करेगा।


(5) यदि इच्छुक क्रेता एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्ति युक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षति पूर्ति करेगी।


(6) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं :-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी। और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

(ख) इच्छुक क्रेता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

कमश: 4 पर

  
क्रेता

  
विक्रेता


(4)

(7) उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे इस बात की शर्त और पूरी समझदारी के साथ कर लिया है कि इच्छुक क्रेता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, चाँदा किए गये किन्हीं प्रमारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव बंधनदार रहेगा और यह कि इच्छुक क्रेता उक्त परिषद की कालोनी में सड़क, जल सम्पत्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुसंधान और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रमारों के प्रति किसी अंशदान के लिए भी, जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक क्रेता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति ( संख्या - 6A/GH-1 ) पर प्रथम प्रमार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 24% (चीबीस प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत क्रेता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

(8) पंजीकृत इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति का उपयोग ग्रुप हाउसिंग प्रयोजन के सिवाय किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं करेगी और वह विक्रय किये गये सम्पत्ति के सम्बन्ध में परिषद के सभी अनुदेशों को सर्वथा अनुसरण करेगी।

(9) इस विलेख के अधीन परिषद से इच्छुक क्रेता का आवंटित भूमि में जिस पर उक्त सम्पत्ति संख्या- 6A/GH-1 स्थित है के अतिरिक्त अनुलग्न भूमि या उसके बगल में स्थित भूमि में किसी भी प्रकार का कोई हक संकमित नहीं होगा या संकमित नहीं समझा जायेगा।

(10) क्रेता ने विलेख में दिए गये निबन्धन और शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है और उसके पूर्णरूप से जानकारी है कि इस विक्रय विलेख के अधीन उसके द्वारा प्राप्त किये गये अधिकार सदैव विलेख में दिये गये निबन्धों और शर्तों के अधीन होंगे।

  
क्रेता

  
इच्छुक

कमरा: 5. पर

32,550,279.00/

विक्रय पत्र

5,000.00

40

5,040.00

2,000

पतिफल मालियत

फीस गजिट्री नकल व प्रति शुल्क योग अन्ध नमूना

श्री /श्रीमती सामिया इन्टर नेशनल बिल्डर्स प्रा.लि.द्रा.आमिर जमाल  
पुत्र / पत्नी श्री जमाल रशीद खान  
पेशा व्यापार

निवासी स्थायी सामिया हाउस 11 फ्लोर राजा राम कुमार प्लाजा 75, हजरतगंज, लखनऊ  
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 1/10/2008 समय 2:30PM

वजे निवन्धन हेतु पेश किया।



निष्पादन लेखपत्र यदि मुनन व समझने व समझने व पाप धनगशि रू. प्रलेखनया उक्त

विक्रेता

क्रेता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निष्पादन श्री उ.प्र.आ.विकास परिषद द्रा.रामेश्वर प्रसाद चौह.आ.आ. ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिए उनकी उपस्थिति और हस्ताक्षरों की आवश्यकता नहीं है और लेखपत्र रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

श्री/श्रीमती सामिया इन्टर नेशनल बिल्डर्स प्रा.लि.द्रा.आमिर जमाल  
पुत्र/पत्नी श्री जमाल रशीद खान  
पेशा व्यापार  
निवासी सामिया हाउस 11 फ्लोर राजा राम कुमार प्लाजा 75, हजरतगंज, लखनऊ


जिसके साक्ष्य में श्री रामेश्वर प्रसाद, सहायक आवास आयुक्त ने परिषद के लिए और उसकी ओर से और सामिया इन्टर नेशनल बिल्डर्स प्राइवेट लिं० द्वारा श्री आमिर जमाल पुत्र श्री जमाल रशीद खान आशयिता संख्या-6A/GH-1 ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के क्रेता ने स्वयं खरीदार के रूप में स्वेच्छा और सम्पत्ति से किसी प्रभाव या प्रपीड़न के बिना साक्षियों की उपस्थिति में एतद्वारा अपने-अपने हस्ताक्षर किये।


ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का कुल मूल्य रू० 3,05,12,950.00 एवं ब्याज/अतिरिक्त ब्याज रू० 20,37,329.00 कुल रू० 3,25,50,279.00 पर देय स्टाम्प रू० 30,51,300.00 में उप निबन्धक(प्रथम) लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 31.03.2008 को बही सं० 1 जिल्द सं० 9281 पृष्ठ सं० 249 से 272 पर क्रमांक 4020 पर रजिस्टर्ड किराया किश्त कय अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टाम्प रू० 30,51,300.00 समायोजन उपरान्त शेष रू० 100.00 के स्टाम्प पेपर पर विकय विलेख निष्पादित किया जा रहा है।

नोट:- (1) उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का आवंटी द्वारा किश्त कराये दारी अनुबन्ध में प्रयुक्त स्टाम्प एक्ट की धारा 10A के अधीन जिलाधिकारी(म०) लखनऊ के आदेश सं० 1679 दि० 21.08.2007 के क्रम में राजकीय व्यवसायिक शाखा स्टेट बैंक आफ इण्डिया के चालान संख्या 15839209 दिनांक 24.03.2008 के विरुद्ध मुख्य कोषाधिकारी कलेक्ट्रेट कोषागार लखनऊ द्वारा दिनांक 27.11.2007 को निर्गत रू० 30,50,000.00 का स्टाम्प प्रमाण पत्र व रू० 100.00 के जनरल स्टाम्प पेपर मूलरूप में संलग्न किये जा रहे हैं।

नोट:- (2) अतः शासनादेश सं०वि०क०नि 5-2756/11-2008-500(115)-2007 दिनांक 30.06.2008 के अन्तर्गत 7% की दर से स्टाम्प रू० 30,51,300.00 पूर्व में अदा किये जा चुके हैं।

क्रमशः 6 पर

  
अनाम खान

  
जि. इ. त. त.

ने निष्पादन ग्रीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री गोविन्द योजना सहायक

गोविन्द

पुत्र श्री

पेशा नीकरी

निवासी आ.वि.प. लखनऊ

व श्री मेराज अहमद


पुत्र श्री

पेशा वकालत

निवासी सिविल कोर्ट, लखनऊ

ने की ।

पत्त्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमित रूप से लिये गये हैं ।



पी. के. सिंह  
उप निवासी  
लखनऊ  
1/10/2019

(6)

अनुसूची 'क'  
विक्रेत की गई सम्पत्ति की अनुसूची

विवरण	क्षेत्रफल	वर्ग मीटर
कम्युनिटी शीट 64/GH-1 मुर हाउसिंग भूखण्ड	4225.00	वर्ग मीटर
सीमेंट लेटर- व्यावसायिक भूखण्ड सं: 64/COM-2	सत्तर= 84.50	मीटर
रस्तेक- भूखण्ड	चत्विण= 84.50	मीटर
भूमि- मुर हाउसिंग भूखण्ड सं: 64/GH-2	पूर्व= 50.00	मीटर
परिचय- 24.00 मी. चौड़ी रोड	पश्चिम= 50.00	मीटर

1-संखी:1-हस्ताक्षर  
2-नाम  
3-पता

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से



2-संखी:1-हस्ताक्षर  
2-नाम  
3-पता

सहायक आवास आयुक्त  
( कृते आवास आयुक्त )

विक्रेता

1-संखी:1-हस्ताक्षर प्रनाज कुमार  
2-नाम प्रनाज कुमार  
3-पता रनदर बाजार लखनऊ

विक्रेता के लिए और उसकी ओर से

2-संखी:1-हस्ताक्षर प्रो० नसीम  
2-नाम प्रो० नसीम

1-हस्ताक्षर  
2-नाम सामिया इन्टर नेशनल लि० द्वारा श्री आगिर जमाल पुत्र श्री रशीद खान  
3-पता सामिया हाउस, II फ्लोर राजा राम कुमार प्लाजा, 75, हजरतगंज, लखनऊ।

3-पता आज्ञा नालि मालिक बाग  
लखनऊ

क्र.सं.

डॉक. नं.

Year : 2008

Registration No. 10892

0201 सामिया इन्टर नेगल विल्डर्स प्रा. लि. का अमिर जमात  
जमात रहीद खान  
सामिया हाउस II फ्लोर राधा राम कुमार प्लाजा 75, एजलताम, लखन  
व्यापार





Sili H-97



Office of the Executive Engineer  
Construction Division-12  
U.P. Avās Evam Vikas Parishad,  
3/77, 3/78 Vrindavan Yojna,  
Lucknow.

SITE PLAN OF HOUSE/PLOT/ NO. 6A/GH-01 TYPE DESIGN  
VRINDAVAN YOJNA NO-1, LUCKNOW  
NAME OF ALLOTTEE SRI/SMY SAMIAH INTERNATIONAL  
PLOT SIZE ..... 84.50 X 50.00 M ..... PYT. L  
TOTAL PLOT AREA ..... 4225.00 ..... SQM  
NORTH..... PLOT NO. 6A/COMM-2  
SOUTH..... FACILITIES.....  
EAST ..... PLOT NO. 6A/GH-02  
WEST ..... 24.00 M WIDE ROAD



अधिकार 82  
पवन/पृथ्वी का नष्ट  
परिच्छेद हेतु निर्दिष्ट है

25-03-08  
SILVIAN

25-3-08  
J P

C.S.  
25/3/08  
A.E.

B.M.O

ALL